सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी / मुख्य जनसूचना अधिकारी
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
जनपद गौतमबुद्धनगर (उ0प्र0)

विषय :– जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 कीधारा 6(1) के अन्तर्गत बांछित सूचना प्रदान किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

प्रार्थी को निम्न वर्णित बिन्दुओ पर बांछित सूचना की आवश्यकता है :–

1. यह कि संलग्न सूची जिसमें ग्राम सूरजपुर स्थित खसरा संख्या 381, रकवा 0.9485 हैक्ट, में उपजिलाधिकारी सदर गौतमबुद्धनगर के पत्रांक 906 / एस0टी0–एस0डी0एम0 / 2009 दिनांक 3.11.2009 के अनुसार प्राधिकरण की 29वीं बोर्ड मीटिंग में प्राप्त ऐजेण्डे के अनुसार 40–40 वर्ग मीटर मे आवासीय भूखण्ड आवंटित करनेके लिए 215 पात्र व्यक्तियों की सूची प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित की गयी थी या नहीं ? बताया जाएं।
2. यह कि प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित सूची में अंकित 215 पात्र व्यक्तियों को आवंटन पत्र जारी किया गया है या नहीं ? बताया जाएं।
3. यह कि अगर प्राधिकरण द्वारा सूची में अंकित पात्र व्यक्तियों को आवंटन पत्र जारी नहीं किया गया है, तो अब तक आवंटन पत्र जारी न किये जाने का सुस्पष्ट एवं वास्तविक कारण से अवगत कराया जाए, एवं सम्बन्धित शासनादेश की प्रति उपलब्ध करायी जाएं।
4. यह कि प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित संलग्नक सूची में पात्र कोई व्यक्ति अपने आवासीय भूखण्ड को विक्रय कर सकता है, या नहीं ? बताया जाएं।
5. यह कि संलग्नक सूची में पात्र व्यक्ति आवंटित भूखण्ड को विक्रीत नहीं कर सकता है, तो उसका विक्रीत न करने का कारण बताया जाएं एवं सम्बन्धित शासनादेश / नियमों की प्रति उपलब्ध करायी जाये।
6. यह कि संलग्न सूची में पात्र व्यक्तियो को प्राधिकरण द्वारा कब तक आवंटन पत्र जारी किया जायेगा बताया जाएं।

R.T.I-20817
PIO-LAHD
18.7.22

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त बिन्दुओ की बिन्दुवार सुस्पष्ट एवं वास्तविक निश्चित सूचना निर्धारित अवधि अन्तर्गत जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अनुपालन में उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

संलग्नक– 10 / –रू0 का पोस्टल आर्डर
सं0 56F 929036

(1) प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित सूची की प्रति)

प्रार्थी

मौहम्मद जीशान, एडवोकेट
चैम्बर नं0 एफ–8, कलेक्ट्रैट कोर्ट,
बुलन्दशहर, उ0प्र0।